

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर

चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000092010

दांडिक प्रकरण क.-549 / 2010

संस्थापित दिनांक 13.12.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
<b>विरुद्ध</b>
01-धन्नूलाल पुत्र हरदास कुशवाह आयु 33 वर्ष 02-सन्तोष पुत्र हरदास कुशवाह आयु 35 वर्ष 03-जगन्नाथ पुत्र वंशीलाल कुशवाह आयु 50 वर्ष 04-हरदास पुत्र धीरे कुशवाह आयु 62 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम खानपुर, चंदेरी <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 08.09.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह

अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341,294,323,325,506बी,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी वेटीवाई ने दिनांक 14.11.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 13.11.10 को रात्रि 8:00 बजे लगभग कुल्हाडी से आकर मारपीट की तथा गंदी गंदी गालिया दी और जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 22/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 341,294,323,325,506बी,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 341,294,325,190/34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। जिसमें आरोपीगण ने उन्हें झूठा फसाया जाना व्यक्त किया गया। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 13.11.10 को रात्रि 8:00 बजे फरियादिया वेटीवाई के मकान के पास ग्राम खानपुर में अन्य आरोपीगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादिया वेटीवाई एवं उसके पिता हरलाल को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादिया को अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया ?
3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की ?
4. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी को लोकसेवक की संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने हेतु जान से मारने की धमकी दी ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ0सा01 वेटीबाई, अ0सा02 हरलाल, अ0सा03 पन्नीलाल, अ0सा04 खुशीलाल, अ0सा05 डॉ एम एल खरका, अ0सा06 रामसिंह, अ0सा07 माखन, अ0सा08 डॉ एस एल छारी एवं अ0सा09 जंगबहादुर सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 वेटीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी अनुसार घटना शाम के 8:00 बजे की है। अ0सा01 ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी संतोष की गाय उनके खेत में घुस गई थी तो उसने बोला कि गाय भगा दो तब आरोपीगण आए और मारपीट करने लगे। उक्त साक्षी अनुसार आरोपीगण ने लाठी कुल्हाड़ी और लुहांगी से मारा था। अ0सा01 के अनुसार उसके पिता जी आ गये थे जिन्होंने बीचवचाव किया था और झगड़े के समय पन्नीलाल और खुशीलाल भी आ गये थे। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया कि उसकी कलाई व छाती में चोट लगी थी तथा उसने प्र0पी01 की रिपोर्ट लेख कराई थी।

08— अ0सा01 के अनुसार संतोष ने उसके सीधे हाथ की कलाई में लाठी मारी थी तथा धन्नू अकेला कुल्हाड़ी लेकर आया था। उक्त साक्षी अनुसार जगन्नाथ ने उनके पिता को 10 लाठियां मारी थी। उक्त साक्षी अनुसार उसके पति एवं जेठ ने इसलिए बीच बचाव नहीं किया क्योंकि आरोपीगण कह रहे थे कि पास आओगे तो तुम्हें भी मारेगे। अ0सा02 हरलाल, अ0सा03 पन्नीलाल एवं अ0सा04 खुशीलाल ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने गालिया दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। उक्त साक्षीगण के अनुसार आरोपीगण ने वेटीवाई के साथ मारपीट की थी और साथ ही हरलाल के साथ भी मारपीट की थी। अ0सा04 ने कथन किया है कि आरोपीगण कह रहे थे कि यदि रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे। अ0सा03 एवं अ0सा04 के अनुसार वह घटना स्थल पर उपस्थित थे किंतु उन्होंने बीचबचाव नहीं किया क्योंकि आरोपीगण कह रहे थे कि अगर बीच में आए तो जान से खत्म कर देंगे।

09— अ0सा02 लगायत 04 ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण कुल्हाड़ी लुहागी एवं लाठी से मारा था। अ0सा02 जो कि मामले का आहत है उसने भी उक्त कथन में बताया है कि आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की थी। अ0सा06 रामसिंह एवं अ0सा07 माखन ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने वेटीबाई एवं हरलाल के साथ मारपीट की थी। अ0सा06 के अनुसार उसे उसकी बहिन ने फोन करके घटना के बारे में बताया था और वह माखन के साथ मौके पर पहुंचा था। ऐसा ही कथन अ0सा07 ने दिया है और बताया है कि उसके पास वेटीबाई का फोन आया था और वे लोग मौके पर पहुंचे थे।

10— अ0सा05 डॉ एम एल खरका ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 14.11.10 आहत वेटीवाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी03 है जिसके अनुसार वेटीवाई के शरीर पर 05 चोटे आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आहत हरलाल का मेडिकल परीक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी04 है और उक्त रिपोर्ट अनुसार आहत हरलाल के शरीर पर 08 चोटे आई थी तथा दोनों आहतगण को आई चोटे शस्त्र एवं भौतरी वस्तु से पहुंचाई गई

थी। अ0सा08 डॉ एस एल छारी ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा दिनांक 15.11.10 को आहत वेटीवाई का एक्सरे किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी05 है और उक्त रिपोर्ट अनुसार वेटीवाई की दाई कलाई में अस्थिभंग था। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा आहत हरलाल का एक्सरे परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्र0पी06 है जिसके अनुसार आहत की पसली में अस्थिभंग था।

11— अ0सा09 जंगबहादुर जो कि मामले का विवेचक है उसने प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार करना बताया है और साथ ही साक्षीगण के कथन लेखवद्ध करना बताया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण को प्र0पी07 के अनुसार गिरफ्तार किया था तथा मकान की तलाशी प्र0पी08 के अनुसार की थी।

12— प्रकरण में अभिलेख पर जो साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि चिकित्सक अ0सा05, एवं अ0सा08 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादी एवं आहत को न केवल चोटें आई थी वल्कि अस्थिभंग भी कारित हुआ था। अ0सा01 जो कि मामले की फरियादी है उसने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण ने गाली गलोच की थी और साथ में लाठी, कुल्हाड़ी एवं लुहांगी से मारपीट की थी। अ0सा01 ने जिन जिन स्थानों पर उसे चोट आना बताया है उन स्थानों के संबंध में अ0सा02 लगायत अ0सा04 ने भी कथन किया है। इस प्रकार अ0सा01 की साक्ष्य का अनुसर्म्थन अ0सा02 लगायत अ0सा04 ने किया है। अ0सा02 ने अपने कथन में बताया है कि आरोपीगण ने न केवल गालिया दी थी वल्कि मारपीट भी की थी और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। अ0सा01 एवं 02 के अनुसार घटना स्थल पर अ0सा03 एवं 04 उपस्थित थे। इसके संबंध में अ0सा03 एवं 04 ने अपने कथनों में बताया है कि वे घटना स्थल पर उपस्थित थे।

13— उल्लेखनीय है कि अ0सा06 एवं 07 ने भी अपने कथनों में स्पष्टरूप से बताया है कि आरोपीगण ने फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट की थी तथा उक्त दिनांक को उक्त मारपीट से फरियादी एवं आहत को चोटें आई थी। इस प्रकार अ0सा01 एवं 02 की साक्ष्य का अनुसर्म्थन एवं संपुष्टि अ0सा06 एवं 07 की साक्ष्य से हो

रही है। प्रकरण में मेडिकल विशेषज्ञ अ0सा05 एवं अ0सा08 की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादी एवं आहत को चोटे आई थी। इस प्रकार अ0सा01 एवं 02 की साक्ष्य की संपुष्टि अ0सा05 एवं 08 की साक्ष्य से हो रही है। उल्लेखनीय है कि अ0सा01 एवं 02 ने अपने कथनों में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उनके साथ गाली गलोच की गई और कहा कि जान से मारने की धमकी दी गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में न केवल अ0सा01 एवं 02 वल्लि घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षीगण की साक्ष्य भी अखण्डनीय रही है तथा अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में झूठी कार्यवाही की गई है।

14— प्रकरण में अभियोजन साक्षीगण में से न केवल फरियादी वल्लि आहत या अन्य किसी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी या आहत हरलाल का रास्ता रोका गया। उल्लेखनीय है कि आरोपीगण की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में झूठी कार्यवाही की गई है आरोपीगण द्वारा जो न्याय दृष्टांत एमपी डब्ल्यू एन 1989, 269, म0प्र0 वीकली नोट 1991, 292 एवं म0प्र0 वीकली नोट 1997,69 अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये हैं, प्रकरण की परिस्थिति में लागू नहीं होते हैं।

15— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी एवं आहत का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया गया। अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी को गालियां देकर क्षोभ कारित किया गया एवं सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी एवं आहत का अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की गई साथ ही फरियादी को लोकसेवक की संरक्षा हेतु आवेदन करने से विरत रहने हेतु जान से मारने की धमकी दी गई। परिणामतः चारों आरोपीगण को भा0द0वि0 की धारा 341 के आरोप

से दोषमुक्त किया जाता है तथा भा0द0वि0 की धारा 294,325/34 एवं 190 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

16— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

#### पुनश्च:—

17— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव जैन का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा आरोपीगण द्वारा दो व्यक्तियों का अस्थिभंग कारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

18— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध

हो कि यदि किसी के द्वारा हिंसा कारित कर अस्थिभंग कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में 01-01 माह के साधारण कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 325/34 के अपराध में 01-01 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 190 के अपराध में 01-01 माह के साधारण कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त तीनो दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

19- आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

20- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

21- आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

22- आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।



(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)